कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 23.04.16 की स्थगित बैठक जो दिनांक 27.04.16 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

मध्यान्ह 12.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/50/सचिव (न.नि.)/16–17 दिनांक : 06-05-2016

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/.....,

पार्षद वार्ड सं0...../सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 23.04.2016 की स्थगित बैठक, जो दिनांक 27.04.16 को मध्यान्ह 12.00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 14 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम /द्वितीय महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक– 23.04.2016 दिन शनिवार को स्थगित हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक–27.04.2016 को मध्यान्ह 12:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर/सभापति
2.	हाजी सुहेल अहमद	पार्षद/उपसभापति
3.	श्री जितेन्द्र सचान	पार्षद/सदस्य
4.	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
5.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य
6.	श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
7.	श्री सुमित सरोज	पार्षद/सदस्य
8.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य
9.	श्री राज किशोर यादव	पार्षद/सदस्य
10.	मो0 शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य
11.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
12.	श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद/सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री वी0के0गुप्ता	प्रभारी नगर आयुक्त
2.	डॉ0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
3.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक 'जलकल'
4.	श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
5.	श्री ए.के.शुक्ला	वित्त अधिकारी 'जलकल'
6.	डॉ0 ए.के.सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
7.	श्री रमेश कुमार कर्दम	अधिशाषी अभियन्ता 'वि0/यॉ0

सभापति द्वारा कोरम के अभाव में 30 मिनट के लिये बैठक की कार्यवाही स्थगित की गई।

.....

मध्यान्ह 12:30 बजे सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सदस्यों को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट जो माह मार्च में प्रस्तुत किया जाना था, कतिपय कारणों से प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ, चूँकि बजट पारित न होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन/पेंशन एवं अन्य भुगतान प्रभावित होंगे। अतः कार्यसूची के अनुसार सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट पर विचार कर लिया जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभारी नगर आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

प्रभारी नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट प्रस्तुत करते हुये तत्सम्बन्ध में मदवार समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया।

ह0..महापौर

मूल बज़ट वर्ष 2016-17

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत नगर निगम का मूल बज़ट वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कुल आय रूपया 1,52,454.71 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 32,133.20 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूप्या 1,63,635.11 लाख व अन्तिम अवशेष रूपया 20,952.80 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख का है । बजट की मुख्य विशेषता निम्नवत हैकृ

आय पक्ष ..

1. राजस्व आय में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 46,152.60 लाख से बढाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 51,049.60 लाख प्रस्तावित किया गया है ।यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्यवित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि में अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है ;पृष्ठ सं— 3,4,5 व 6)

2. पूंजीगत आय में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 17,823.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 10,761.00 लाख प्रस्तावित किया गया है । यह कमी मुख्य रूप से चौदहवॉ वित्त आयोगएअवस्थापना निधि व राज्य सरकार के ऋण ;अन्यद्ध में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है । पृष्ठ सं—6 व 7)

3. रिजर्व फण्ड जे0एन0एन0यू0आर0एम में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 90644.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90644.11 लाख प्रस्तावित किया गया है । ;पृष्ठ सं—7 व 8)

व्यय पक्ष –

1. राजस्व व्यय में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 56,172.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 55,373.00 लाख प्रस्तावित किया गया है । यह कमी मुख्य रूप से राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी होने के कारण् राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है ।;पृष्ठ सं—9,10,11,12 व 13)

2. पूंजीगत व्यय में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 23,275.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 17,638.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण योजना हस्तांतरण मद मे कमी होने के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है ;पृष्ठ सं– 14 व 15)

3. रिजर्व फण्ड जे0एन0एन0यू0आर0एम में पुनरक्षित बज़ट वर्ष 2015-16 में रूपया 90624.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90624.11 लाख प्रस्तावित किया गया है। ;पृष्ठ सं–15 व 16)

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है .

प्रस्ताव संख्या–1312

मूल बजट
वर्ष 2016–2017
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2014-15 तक	पुनरीक्षित 2015-16	वास्तविक आय जनवारी 2016 तक	प्रस्तावित धनराशि 2016-17
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	12503.66	13101.50	6754.11	13101.50
1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	1.77	2.00	1.18	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	146.29	128.50	63.45	128.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	754.11	1109.50	430.08	1289.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	99.09	133.00	48.54	152.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	36.43	51.00	5.03	51.00
1801	Income from Interests	1801	ब्याज से आय	5	1644.46	907.00	687.59	605.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	80.14	92.10	64.43	92.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	42811.16	30628.00	22349.99	35628.00
	TOTAL –A-		योग (अ)	6	**58077.10**	**46152.60**	**30404.40**	**51049.60**
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					

3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	6	1999.58	10400.00	7559.49	5600.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	11439.61	6550.00	1079.55	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	253.48	763.00	97.74	1076.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	106.00	0.00	31.00
	TOTAL –B-		**योग (ब)**	**7**	**13692.67**	**17823.00**	**8736.78**	**10761.00**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	7	**71769.78**	**63975.60**	**39141.18**	**61810.60**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	7	2312.75	6737.41	0.00	6737.41
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	7-8	10915.79	11663.12	18.51	11663.12
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	0.00	72243.58	0.00	**72243.58**
	TOTAL –C-		**योग (स)**	8	**13228.54**	**90644.11**	**18.51**	**90644.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	8	**84998.31**	**154619.71**	**39159.69**	**152454.71**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	8	33141.89	47884.60	**47585.03**	32133.20
	Grand Total		**महायोग**	**8**	**118140.20**	**202204.31**	**86744.72**	**184587.91**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2014-15	पुनरीक्षित 2015-16	वास्तविक व्यय जनवरी 2016 तक	प्रस्तावित धनराशि 2016-17
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	26001.33	30030.00	24242.04	35030.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	4235.91	2261.00	914.08	2334.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-11	14934.94	21781.00	15985.50	16266.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	349.77	408.00	356.76	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	446.10	1692.00	606.53	1335.00
	TOTAL –D-		**योग (द)**	13	**45968.05**	**56172.00**	**42104.92**	**55373.00**
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					

3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	5133.59	11300.00	3255.95	12000.00
3111	Insfrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	5075.10	10500.00	5961.73	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	435.57	1364.00	84.35	1602.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	32.00
	Total –E-		**कुल योग (य)**	**15**	**10644.26**	**23275.00**	**9302.02**	**17638.00**
	TOTAL (D+E)		**योग (द+य)**	**15**	**56612.31**	**79447.00**	**51406.93**	**73011.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	6737.41	0.00	6737.41
4121	Work in Progress under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	15	0.00	72243.58	0.00	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	16	13248.58	11643.12	0.00	11643.12
	TOTAL –F-		**योग (र)**	**16**	**13248.58**	**90624.11**	**0.00**	**90624.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**16**	**69860.89**	**170071.11**	**51406.93**	**163635.11**
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	16	-694.72	0.00	3190.74	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**16**	70555.61	**170071.11**	**48216.19**	**163635.11**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेषः–	16	47584.60	32133.20	38528.53	20952.80
	Grand Total		**महायोग**	**16**	**118140.20**	**202204.31**	**86744.72**	**184587.91**

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सभापति महोदय बजट तो स्वीकृत ही कर दिया जायेगा, परन्तु कानपुर नगर में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत इसमें संशोधन करते हुये प्रत्येक वार्ड में 05–05 हैण्डपम्प रिबोर करने हेतु हैण्डपम्प मद में दर्शायी गई धनराशि 75 लाख में संशोधन कराया जाये।

सभापति ने अवगत कराया कि पूर्व में सदन की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 02–02 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, तद्नुक्रम में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिससे शीघ्र ही प्रत्येक वार्ड में 02–02 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेंगे।

कानपुर महानगर में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत एवं पार्षदों की माँग पर निर्णय लिया गया कि **आगामी 14वें वित्त आयोंग की प्राप्त धनराशि से प्रत्येक वार्ड में दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने को प्राविधानित किया जाये।**

हाजी सुहेल अदमद उप सभापति ने कहा कि आज की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह भी अवगत कराया जाये कि मार्गप्रकाश विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी कौन है ? क्योंकि मार्गप्रकाश विभाग से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत करने के लिये पार्षद लोग इधर–उधर भटकते है और वह यह नही सुनिश्चित कर पाते है कि प्रकाश बिन्दु चालू कराने एवं अन्य शिकायतों के लिये किसको पत्र दिया जाये।

सभापति ने नगर आयुक्त से तद्नुसार जवाब देने के लिये कहा, जिस पर मार्गप्रकाश विभाग से श्री रमेश कुमार कर्दम, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मार्गप्रकाश विभाग से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त कर मेरे द्वारा निस्तारित कराई जा रही है, यदि किसी भी पार्षद की कोई शिकायत हो तो मुझे पत्र दे सकते है।

सभापति ने स्पष्ट किया कि जैसा आप सभी विदित है कि सभी विभागों में मानव बल की कमी है, उसी परिप्रेक्ष्य में सदन में भी सफाई कर्मचारियों की भाँति मार्गप्रकाश विभाग में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक–एक लाईनमैन रखने के लिये माँग की गई थी। अतः प्रत्येक वार्ड में शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक–एक लाईनमैन रखा जाये। नगर आयुक्त मार्गप्रकाश विभाग की शिकायतों का स्वयं पर्यवेक्षण करायेंगे।

श्री रमेश कुमार कर्दम, अधिशाषी अभियन्ता मार्गप्रकाश ने बताया कि वर्ष 2010 में ग्रीनों लाईट कम्पनी से कानपुर क्षेत्र में सोडियम को बदलते हुये एल.ई.डी. लगाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो कालान्तर में सफल नही हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के तौर पर जोन–2 व 4 में निविदा के माध्यम से किसी कम्पनी को निर्धारित करते हुये विद्युत खम्भों से सोडियम लाईट उतरवाकर कम्पनी अपने खर्चे से एल.ई.डी. लगवायेगी। इसका प्रस्ताव मा0 सदन से स्वीकृत हुआ था, परन्तु तीन बार निविदायें आमंत्रित की गई किन्तु निविदा शर्तो के सापेक्ष कोई कम्पनी चयनित नही हुई। शेष अन्य जोन 1, 3, 5 व 6 में नगर निगम अपने सीमित संसाधनों एवं मानव बल की कमी के बावजूद भी मार्गप्रकाश की व्यवस्था संचालित कर रही है। एल.ई.डी. फिटिंग्स एवं अन्य विद्युत सामग्री क्रय किये जाने की निविदायें आमंत्रित की गई है।

सभापति ने विगत सदन की बैठक में दिये गये निर्णय की ओर ध्यानाकर्षित करते हुये कहा कि तत्समय निर्णय लिया गया था कि प्रश्नगत कम्पनी कानपुर नगर की सभी सोडियम लाइट्स बदलते हुये अपने खर्चे से एल.ई.डी. लगायेगी, इसमें नगर निगम से कोई धनराशि व्यय नही की जायेगी। मार्गप्रकाश के कार्यो में टेण्डर का इंतजार न किया जाये, क्योंकि तब तक शहर को अंधेरे में नही रखा जा सकता है। बन्द पड़े प्रकाश बिन्दुओं को विभाग में उपलब्ध सोडियम लाइट्स लगवा कर चालू कराया जाये साथ ही स्टाक की उपलब्धता से समिति को अगवत कराया जाये।

श्री रमेश कुमार कर्दम ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि स्टाक में 630 सोडियम फिटिंग्स वर्तमान में उपलब्ध है।

..... **निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में पार्षदों की संस्तुति पर 05–05 सोडियम लाईट 15 दिन के अन्दर लगवाई जाये शेष आवश्यकता पड़ने पर क्रय की जाये तथा जोन–2 एवं 4 में मार्गप्रकाश विभाग की पूर्ववत् व्यवस्था यथावत् चलती रहेगी।**

मुख्य अभियन्ता ने सभापति से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट में राज्य वित्त आयोग के मद में रू0 60 करोड़ की धनराशि दर्शाई गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 का दायित्व ही रू0 75 करोड़ है तथा नगर निगम निधि में रू0 34 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है, इसके सापेक्ष 18.4 करोड़ पूर्व वर्ष 2015–16 का दायित्व अवशेष है। अतः इस दायित्व को दृष्टिगत रखते हुये दोनों मदों में दर्शाई गई धनराशि में वृद्धि की जाये। जोनवार दायित्व के विवरण से अवगत कराया कि –

जोन	नगर निगम निधि		राज्य वित्त आयोग	
	कार्यो की संख्या	धनराशि (करोड़ में)	कार्यो की संख्या	धनराशि (करोड़ में)
1	23	1.10	156	11.83

2	56	4.20	123	10.27
3	79	3.98	126	11.59
4	186	6.92	207	10.50
5	10	0.12	213	13.79
6	49	2.09	185	14.14
उद्यान विभाग	—	--	66	3.07
योग	403	18.43	1076	75.21

उपरोक्तानुसार दायित्व के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लगभग 50.00 करोड़ की धनराशि के कार्यो की पत्रावलियाँ निविदा स्वीकृत प्रक्रिया में है। अतः मा0 समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त दायित्व के दृष्टिगत बजट की प्राविधानित धनराशि में संशोधन करने का कष्ट करें, जिससे शहर में विकास कार्य सम्पन्न कराये जा सके। राज्य वित्त आयोग/14वें वित्त आयोग की धनराशि शासन से मिलने पर दायित्व का समायोजन किया जा सकता है।

सभापति ने सदस्यों से कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोकसेवक कहा गया है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों की व्यवस्थायें संविधान के तहत निर्धारित है, जिसमें पंचायत से लेकर लोकसभा तक निर्णय लेने के लिये प्रक्रिया भी निर्धारित है। अतः निर्वाचित नगर निगम के पार्षदों का नगर निगम में विशेष अधिकार है। नगर निगम के सीमित संसाधन है, प्राप्त राजस्व एवं अनुदानों की धनराशि के तहत पार्षदों की संस्तुति पर ही कार्य कराये जाने चाहिये। अन्य किसी पदेन सदस्य यथा विधायक/सांसद के दबाव में कार्य नही कराये जाने चाहिये। अनावश्यक दबाव के कारण ही बजट में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। विधायक निधि या सांसद निधि के माध्यम से विधायकों/सांसदों को अपने विधान सभा/संसदीय क्षेत्र में कार्य कराये जाने चाहिये। निर्वाचित निगम की समस्याओं को विधान सभा/लोक सभा में उठाकर नगर निगम की वित्तीय एवं अन्य समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया जाना चाहिये। नगर आयुक्त को पुनः निर्देशित करना चाहता हूँ कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक समान कार्य कराये जाये। दायित्वों का समायोजन नही हो सकता है, पुनरीक्षित बजट के माध्यम से इसका समाधान निकाला जा सकता है। तथापि निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्यो की निविदायें हो चुकी है उनके कार्यादेश (Work Order) न दिये जाये ताकि बजटीय संतुलन बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि पार्षदों के अतिरिक्त अन्य के द्वारा संस्तुत कार्यो को रोक कर कार्य कराये जाये।

..... **वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट में आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 152454.71 तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 32133.20 कुल धनराशि रू0 184587.91 तथा व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 163635.11 तथा अवशेष धनराशि रू0 20952.80 कुल धनराशि 184587.91 को स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

सभापति ने समिति के सदस्यों से कहा कि जलकल विभाग से मेरी भी सहानुभूति है। कार्यकारिणी सदस्यों को भी संज्ञान होगा कि शहर में पानी की उपलब्धता में कमी है तथा विभाग में अधिकारियों की भी कमी है। जहाँ 06 जोनों में 08 अधिशाषी अभियन्ताओं के सापेक्ष 01 अधिशाषी अभियन्ता तथा 15 सहायक अभियन्ताओं के सापेक्ष 02 सहायक अभियन्ता और 37 अवर अभियन्ताओं के सापेक्ष 17 अवर अभियन्ता वर्तमान में पदस्थ है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की भी कमी है। हैण्डपम्प

मरम्मत एवं सीवर सफाई में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी प्रकार कार्य कराया जा रहा है। गंगा नदी में अस्थाई बंधा बनाकर गंगा बैराज से 03 ड्रेजर लगाकर भैंरवघाट होते हुये लोअर गंगा कैनाल के माध्यम से बेनाझाबर में पानी लाया जा रहा है तत्पश्चात् शोधन करने के उपरान्त शहर को जलापूर्ति की जा रही है। अतः सभी कार्यकारिणी सदस्य जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट, जो महाप्रबन्धक जलकल द्वारा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तद्नुसार स्वीकृत हेतु विचार विमर्श करें।

सभापति के निर्देशानुसार महाप्रबन्धक जलकल द्वारा निम्नवत् वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट समीक्षात्मक विवरण से अवगत कराते हुये प्रस्तुत किया गया।

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
मूल बजट वर्ष : 2016-17

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत नगर निगम का मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कुल आय रूपया 1,52,454.71 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 32,133.20 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 1,63,635.11 लाख व अन्तिम अवशेष रूपया 20,952.80 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख का है। बजट की मुख्य विशेषता निम्नवत् हैः–

आय पक्ष —

1- राजस्व आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 46,152.60 लाख से बढ़ाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 51,049.60 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्यवित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि में अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है (पृष्ठ सं0–3,4,5 व 6)

2- पूंजीगत आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 17,823.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 10,761.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से चौदहवाँ वित्त आयोग, अवस्थापना निधि व राज्य सरकार के ऋण (अन्य) में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं0–6 व 7)

3- रिजर्व फण्ड जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 90644.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90644.11 लाख प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं0–7 व 8)

व्यय पक्ष —

1- राजस्व व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 56,172.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 55,373.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी होने के कारण राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं0–9,10,11,12 व 13)

2- पूंजीगत व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 23,275.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 17,638-00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण योजना हस्तांतरण मद में कमी होने के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं0– 14 व 15)

3- रिजर्व फण्ड जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 90,624.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90,624.11 लाख प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं0–15 व 16)

प्रस्ताव संख्या–1313

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ––

जलकल विभाग

नगर निगम, कानपुर

मूल बजट वर्ष : 2016-17

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2014-15	प्रस्तावित आय 2015-16	वास्तविक आय दिसम्बर, 2015	प्रस्तावित आय 2016-17
	अ–	राजस्व आय–				
1100201		जलकर	5090.00	6510.00	3306.30	6700.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1465.00	1660.00	1057.86	1700.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2049.00	2615.00	1105.18	2700.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	27.87	30.00	16.31	30.00
1408001		अधिभार	3.78	10.00	2.18	10.00
1401502		नियमितीकरण	11.46	15.00	4.74	15.00
1401401		विकास शुल्क	52.41	160.00	62.81	175.00
		योग राजस्व–	8699.52	11000.00	5555.38	11330.00
	ब–	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य	4100.59	–	559.40	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	–	3000.00	–	3000.00
		कुल आय–	12800.11	14000.00	6114.78	14830.00
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	–	–	–	–
		योग–(अ+ब+स)	12800.11	14000.00	6114.78	14830.00
		प्रारम्भिक अवशेष	1239.72	499.00	4332.16	1721.00
		महायोग –	14039.83	14499.00	10446.94	16551.00

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
मूल बजट वर्ष : 2016-17

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2014-15	प्रस्तावित व्यय 2015-16	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2015	प्रस्तावित व्यय 2016-17
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	6297.30	7780.00	4999.38	8245.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	294.33	3000.00	200.00	3000.00
2303004	3	पूर्तियाँ	222.18	560.00	197.98	560.00
2308007	4	अन्य व्यय	43.70	65.00	22.30	65.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	716.84	925.00	490.92	1065.00
2208003	6	जनरल टैक्स	797.97	250.00	200.00	250.00
		योग संचालय व्यय –	8372.32	12580.00	6110.58	13185.00
	ब–	असंचालन व्यय –				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	–	2.00	–	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	–	40.00	–	40.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	2.27	10.00	0.88	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	–	10.00	–	10.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	–	15.00	–	15.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	–	30.00	0.63	30.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	–	20.00	–	20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	–	45.00	–	45.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	2.43	20.00	0.91	20.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	–	6.00	–	6.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1330.65	–	346.52	500.00
		योग असंचालन व्यय –	1335.35	198.00	348.94	698.00
		कुल योग (अ+ ब) व्यय	9707.67	12778.00	6459.52	13883.00
		अन्तिम अवशेष	4332.16	1721.00	3987.42	2668.00
		महायोग	14039.83	14499.00	10446.94	16551.00

ह0..महापौर

महाप्रबन्धक जलकल ने सभापति से अनुरोध करते हुये अवगत कराया कि आपके भी संज्ञान में है कि भैरवघाट के माध्यम से किन परेशानियो से बेनाझाबर तक पानी लाया जा रहा है, फिर भी समिति को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लोअर गंगा कैनाल के पाइपों में जो लीकेज है उसे जल निगम से समन्वय स्थापित करते हुये गंगा बैराज से जलापूर्ति में सुधार सुनिश्चित किया जायेगा। शहर को पानी की कमी नही होने दी जायेगी।

सभापति ने कहा कि ढाई वर्ष पूर्व दक्षिण क्षेत्र में बर्रा के तिकुनिया पार्क वाली टंकी से पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है, परन्तु कई बार कहने के बावजूद भी उसके लीकेज को ठीक नही कराया गया है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि शास्त्री नगर में सी.यू.जी.एल. कम्पनी द्वारा भूमिगत लाईन डालते समय पाइप क्षतिग्रस्त कर दिये गये है, जिससे पानी लीकेज होने के कारण नगर निगम की नवनिर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। अनेकों बार शिकायत करने के पश्चात् भी उसे ठीक नही कराया जा रहा है।

श्री जितेन्द्र सचान ने कहा कि क्षेत्रीय जनता अपने धन से चोंक सीवर की सफाई एवं हैण्डपम्प की मरम्मत करा रही है, जबकि वाटर टैक्स व सीवर टैक्स बसबर लिया जा रहा है।

सभापति ने महाप्रबन्धक जलकल से पूँछा कि जलकल विभाग में 22 गैंग है, प्रतिदिन कितने हैण्डपम्प ठीक कराये जा रहे है। यदि मानव बल की कमी हो तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाये, ताकि क्षेत्र में जलकल विभाग का काम दिखाई पड़े। गैंग के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो हैण्डपम्प ठूँठ बनें खड़े है, उनके सामान के प्रयोग के प्रति भी सोचा जाये, जिससे कम लागत में दूसरे स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर या स्थापित किये जा सके।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट में आय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 14830.00 तथा प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 1721.00 इस प्रकार कुल धनराशि 16551.00 एवं व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 13883ण्00 तथा अन्तिम अवशेष धनराशि रू0 2668.00 इस प्रकार कुल 16551.00 को स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

सभापति ने जल निगम के अधिशाषी अभियन्ता से कहा कि जिन क्षेत्रों में आपकों पाइप लाईन डालनी हो, उसकी सूची सर्वप्रथम नगर निगम एवं अन्य विभागों को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के साथ–साथ आर्थिक क्षति से बचा जा सके। इसी के साथ छावनी क्षेत्र की सीवर लाईन के प्रति क्या प्रगति हुई उसके सम्बन्ध में अवगत कराने के निर्देश दिये।

अधिशाषी अभियन्ता जल निगम ने बताया कि रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एक महीने का कार्य है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइप लाईन की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसे पूर्ण कराते हुये वर्ष 2017 में जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी।

श्रीमती पूनम द्विवेदी ने कहा कि श्याम नगर स्थित सी–ब्लाक में नलकूप बोर किया हुआ पड़ा है, जो आज तक चालू नही हो सका। इसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट किया जाये।

अधिशाषी अभियन्ता जल निगम ने कहा कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्यवाही करायी जायेगी।

प्रभारी नगर आयुक्त ने सभापति से अनुरोध किया कि भारत सरकार द्वारा संचालित **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित टेबुल प्रस्ताव को भी समिति के माध्यम से स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–1314 नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कायकम के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर महानगर में अति व्यस्त सार्वजनिक स्थलों, बाजारों इत्यादि में महिलाओं/पुरूषों हेतु मूत्रालय (यूरिनल) बनाये जाने हेतु स्वैच्छिक संस्था एहसान फाउण्डेशन, 133/10–ए प्रथम तल रत्तूपुरवा, टी0पी0 नगर, कानपुर के पत्र दिनांक 29.03.2016 के साथ उपलब्ध करायी गयी तालिका में अंकित 78 स्थलों पर क्रमशः नवीन मार्केट ट्रीट के बगल में, परेड शिक्षा पार्क, नवीन मार्केट के सामने, सोमदत्त के सामने, चुन्नीगंज, पी0पी0एन0 मार्केट, बजरिया मार्केट, लाल इमली दो साइड, फूलबाग, नानाराव तरनताल, माल रोड, नरोना चौराहा, सागर मार्केट, हीर पैलेस के पास, पण्डित उपवन, कृष्णा टावर, हडर्ड चौराहा, लालमण्डी हास्पिटल, घण्टाघर, टाटमील, किदवई नगर, बाकरगंज, साइट नं0–1, बारादेवी, गोविन्द नगर, चावला मार्केट, सी0टी0आई0 चौराहा, इन्द्रा नगर, पॉलीटेक्निक, गुरूदेव चौराहा, फजलगंज, कानपुर विश्वविद्यालय, आई0आई0टी0, रेलवे स्टेशन कैण्ट, सेन कालेज के सामने, गीता नगर क्रासिंग, मंधना चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, रामा डेण्टल, रावतपुर, गोल चौराहा, रेव मोती, पत्थर कालेज, रेव थ्री, एल्गिन मिल, मर्चेन्ट चेम्बर हॉल, ग्रीन पार्क, डी0ए0वी0 कालेज, गोरा कब्रिस्तान, पुलिस लाइन, जेल चौराहा, पराग डेयरी, नन्द लाल चौराहा, रतनलाल नगर चौराहा, दबौली, पनकी भौंती चौराहा, इनकम टैक्स, डेवडी घाट, मेघदूत चौराहा, कम्पनी बाग के पीछे, पडुवा/झाड़ी बाबा, मरी कम्पनी पुल, कैनाल रोड, जरीब चौकी, डिप्टी पड़ाव, चाचा नेहरू चौराहा, संगीत टाकीज, जरीब चौकी, विजय नगर, दादा नगर, पनकी एल0एम0एल0 चौराहा, बजरिया, बजरिया स्लाटर हाउस, यशोदा नगर, नौबस्ता, जाजमऊ चुंगी, गंगा बैराज, सचान गेस्ट हाउस, लाल बंगला एवं रामादेवी में पी0पी0पी0 पद्धति पर मूत्रालय निर्माण का कार्य स्वच्छता की दृष्टि से कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

कार्य को जनहित में कराये जाने की दृष्टि से उपरोक्तानुसार महिलाओं/पुरूषों हेतु 78 अदद् मूत्रालय (यूरिनल) चयनित स्थलों पर निर्माण रख–रखाव एवं संचालन हेतु निम्न शर्ते है :–

1. मूत्रालय हेतु स्थल नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर पूर्ण स्वामित्व नगर निगम का रहेगा।
2. स्थल उपलब्धता के अनुसार कार्यदायी संस्था को मूत्रालय की ड्राईंग एवं निर्माण लागत का विवरण भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा एवं अपने खर्चे से उक्त मूत्रालय का निर्माण एवं रख रखाव करना होगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम (प्रथम पक्ष) एवं कार्यदायी संस्था (द्वितीय पक्ष) के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगाद्व जिसकी समय अवधि 15 वर्ष होगी।
3. प्रथम पक्ष को निरीक्षण करने का अधिकार होगा एवं निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को सूचित किया जायेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय में त्रुटियों का निस्तारण न करने पर नगर निगम द्वारा जो भी दण्ड आरोपित किया जायेगा उसे संस्था को देना होगा।
4. मूत्रालय के सचालन व रख–रखाव की समीक्षा प्रत्येक 06 माह पर की जायेगी। 15 वर्षो की संतोषजनक कार्य पद्धति के उपरान्त पुनः 5 वर्ष की अनुमति दो बार प्रदान की जा सकेगी तदुपरान्त मूत्रालय को क्रियाशील स्थिति में नगर निगम को हस्तानान्तरित करना होगा।

5. द्वितीय पक्ष को मूत्रालय में एक सूचना पट लगाना होगा जिस पर मूत्रालय के निर्माण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का भी प्रकाशन किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा मूत्रालय सफाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
7. इस अनुबन्ध की अवधि में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रश्नगत मामला नगर आयुक्त कानपुर को अग्रसारित कर दिया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को स्वीकार होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष से आवंटित स्थल एवं कार्य को कभी भी किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को किसी भी रूप में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।
9. मूत्रालय पर विज्ञापन का निर्धारण नयी विज्ञापन/उ0प्र0 नगर निगम विज्ञापन कर व वसूली नीति के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा मूत्रालय के परिसर का उपयोग मूत्रालय संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नही किया जायेगा, अन्यथा प्रथम पक्ष को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा निर्माण पर किया गया व्यय भी देय नही होगा।

उल्लिखित शर्तो के अनुरूप स्वैच्छिक संस्था एहसान फाउण्डेशन, 133/10–ए प्रथम तल रत्तूपुरवा, टी0पी0 नगर, कानपुर के माध्यम से कराये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन की स्वीकृति/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... प्रश्नगत स्थलों में प्राविधानित नियम/शर्तो के साथ मूत्रालय (यूरिनल) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र ने सभापति पुनः अनुरोध किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ द्वारा प्रस्तावित एक दिवसीय कार्यशाला एवं हैदराबाद तेलंगाना राज्य के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम हेतु 20 सदस्यों की टीम चयनित की जानी है। उक्त टीम में 02 मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, 07 सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, जे.ई., व ए.ई. तथा लिपिक भी सम्मिलित होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि कुछ पार्षदों के नाम भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे टीम का गठन किया जा सके।

सभापति ने उक्त टीम में श्री आशुतोष त्रिपाठी, श्री राज किशोर यादव, श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, श्री कैलाश नाथ पाण्डेय, श्री जितेन्द्र सचान एवं श्री रमापत झुनझुनवाला को नामित करते हुये प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन से कहा कि अब आप इन नामित पार्षदों से स्वयं सम्पर्क स्थापित कर तद्नुसार कार्यक्रम सुनिश्चित करें।

प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन श्री सुरेश चन्द्र ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के संचालन हेतु मे0 एटूजेड इ0लि0, गुणगांव द्वारा नये कन्सेशनायर मे0 आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के चयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। शासनादेश की शर्त के अनुसार प्रथमतयः राज्य सरकार, नगर निगम कानपुर, ऋण दाताओं, मे0 एटूजेड तथा नई एस0पी0वी0 परियोजना के पुर्नगठन तथा पुनरोद्धार हेतु एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन एग्रीमेन्ट निष्पादित किया जायेगा। उक्त के साथ ही नगर निगम के साथ एक नया कन्शेसन अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत नवीन एस0पी0वी0 द्वारा आगामी 30 वर्षो तक संचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा। शर्त में इंगित दोनो अनुबन्धों को आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 फाइनेन्शियल सर्विसेज लि0 मुम्बई द्वारा प्रस्तुत करते हुये सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ कार्यालय में विचार विमर्श किया जायेगा। दिनांक 16.04.2016 एवं दिनांक 22.04.2016 की बैठक में विधिक टीम एवं नगर निगम का प्रतिनिधित्व करते हुये मैंने स्वयं प्रतिभाग किया था, जिसमें आश्वस्त किया गया था कि दोनों अनुबन्धों को संशोधित करते हुये दिनांक 27.04.2016 तक सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम व नगर निगम कानपुर को ई–मेल पर प्रेषित कर दिये जायेंगे, परन्तु आज तक संशोधित अनुबन्ध अप्राप्त है, जबकि शासन द्वारा कानपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सभापति ने प्रभारी स्वच्छ भारत मिशन श्री सुरेश चन्द्र को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि अनुबन्ध में नगर निगम हित की अनदेखी न की जाये, क्योंकि पूर्व में जब ए–टू–जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कूड़ा के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अनुबन्ध किया गया था, उसमें नगर निगम को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करते हुये नागरिकों की जिल्लत व जलालत सहनी पड़ी। क्योंकि बिना बताये कम्पनी ने डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन बन्द कर दिया तथा पनकी स्थित डम्पिंग स्थल पर कूड़े के साथ ईंटे इत्यादि तुलवाई जाने लगी थी, जिससे नगर निगम को आर्थिक क्षति भी पहुँचने लगी तथा कूड़े से बिजली बनाना एवं खाद बनाना महज स्वप्न ही साबित हुआ। विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि प्रश्नगत कम्पनी जिससे अनुबन्ध किया जा रहा है उस अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाये कि नगर निगम स्वयं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर कूड़े को डम्प तक पहुँचायेगी, तदोपरान्त कम्पनी द्वारा कूड़े से बिजली व खाद बनायी जायेगी, उसमें बिजली उत्पादन के घाटे को नगर निगम से किसी भी रूप में समायोजित नही किया जायेगा।

सभापति ने समिति के सदस्यों से आज दिनांक 27.04.2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा ।

..... **सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 27.04.2016 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

अन्त में सधन्यवाद् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0.....
(जगत वीर सिंह द्रोण)
महापौर / सभापति